दूरभाष - 0522-4026512
ई0मेल- info@commissionerdisabilitiesup.in

न्यायालय, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ,उ0प्र0

(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 के अधीन)

निकट जे0बी0टी0सी0 कम्पाउण्ड, (विद्या भवन कैम्पस) निशातगंज ,लखनऊ-226007

पत्रांक - 01-04 /रा0आ0दि0ज0 / परिवाद- 55/2020 / 2020-21 / लखनऊ, दिनांक - 03/06 /2021

परिवाद संख्या- 55/2020

प्रकरण में,

स्वतः स्फूर्त (Suo- Motu)

- परिवादी

बनाम्

जिला जज, जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर

- प्रतिवादी

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-45 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के क्रम में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के चिन्हित जनपदों के विभिन्न विभागों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण के निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि की मॉनिटरिंग / निगरानी किये जाने के उद्देश्य से प्रकरण को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-80 (ख) व (छ) एवं धारा-45 के अंतर्गत स्वतः स्फूर्त प्रकरण के रूप में ग्रहण करते हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं एवं सम्बन्धित विभागों को उनके विभागों के अंतर्गत दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण बनाये जाने हेतु अवमुक्त धनराशि के उपयोग की वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी जारी किये गए।

उपर्युक्त के क्रम में ही सुगम्य भारत अभियान के फेज-1 केअंतर्गत चयनित जिला सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर को दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित बनाए जाने हेतु अवमुक्त/स्वीकृत की गई धनराशि रु0 36.26 लाख के उपयोग की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस पत्रांक 183/ रा0आ0दि0ज0 / नो0 55/2020 दिनांक 07-10-2020 जारी किया गया जिसके अनुपालन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रभारी प्रशासन / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 -1 गौतमबुद्ध नगर द्वारा अपने पत्रांक-2910/xv/डी0जे0/जी0बी0एन0 दिनांक 22-10-2020 द्वारा अवगत कराया गया कि उनका न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन है, अतएव सुगम्य भारत अभियान के सम्बन्ध में होने वाले उपर्युक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से दिशा- निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु पत्राचार किया गया है तथा उन्हें मा0 उच्च न्यायालय से दिशा-निर्देश प्राप्त होने तक पर्याप्त समय प्रदान किया जाय।

03/6/2021

अग्रेत्तर प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री पवन प्रताप सिंह, प्रभारी अधिकारी लिटिगेशन /प्रशासन / प्रथम अपर जिला जज कक्ष सं0 -1 गौतमबुद्ध नगर द्वारा अपने पत्रांक-900/xv/डी0जे0/जी0बी0एन0 दिनांक 31-03-2021 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि-

1- यह कि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 ने अपने पत्रांक 324/यूपीआरएनएसएस/ गाजियाबाद/2019-20 दिनांक 13-02-2020 द्वारा अवगत कराया कि शासनादेश दिनांक 01-01-2020 द्वारा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत चयनित जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर को दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित बनाने का निर्माण कार्य उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) को आवंटित हुआ है। उक्त पत्र में कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनुरोध किया गया कि निर्माण कार्य हेतु प्रक्रिया आरम्भ कराने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्रदान कराने की कृपा करें जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

2- यह कि उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 681 दिनांकित 15-02-2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से उक्त कार्य को प्रारम्भ करने के लिए दिशा-निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

3- यह कि इस कार्यालय के पत्रांक 681 दिनांकित 15-02-2020 के प्रतिउत्तर में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक 537/इन्फ्रासेल/इलाहाबाद दिनांकित 15-06-2020 में निम्न निर्देश दिया गया -

"With reference to your endorsement letter No.681/XV dated 15-02-2020, on the above subject, I am direct to request you to kindly obtain the plan / drawing according to which, differently-abled friendly construction work in District & Sessions Court G.B. Nagar, under the 'Sugamya Bharat Abhiyan' is to be carried out, from the agency UPRNSS and submit the same, to this Hon'ble Court with your explicit recommendation along with the report of Infrastructure Sub-Committee of the Judgeship."

4- यह कि माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र की प्रति को अधिशाषी अभियंता उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को इस कार्यालय के पत्रांक 1488 दिनांकित 25-06-2020 को प्रेषित की गयी तथा वांछित आख्या 03 कार्य दिवस के अंदर न्यायालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया जिससे माननीय उच्च न्यायालय को वांछित आख्या प्रेषित की जा सके।

5- यह कि उक्त पत्र के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा पत्रांक संख्या 127/ यूपीआरएनएसएस /गाजियाबाद / 2019-20 दिनांकित 26-06-2020 द्वारा रु0 36.26 लाख रुपये का आगणन तैयार कराकर जनपद न्यायालय गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 04-07-2020 को माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 681 दिनांक 15-02-2020 के अनुपालन में जिला इन्फ्रास्ट्रक्चर सब कमेटी एवं कार्यदायी संस्था अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 की बैठक हुई जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रेषित आगणन रु0 36.26 लाख जनपद न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर को दिव्यांगजनों को बाधारहित बनाए जाने हेतु पर्याप्त नहीं है तथा कुछ कार्य जिसमें गेट से मुख्य भवन तक शेडेड करने जिससे दिव्यांगजनों को विषम परिस्थितियों जैसे बारिश, धूप आदि के कारण मुख्य भवन तक आने-जाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो तथा व्हील चेयर एवं इवेक्यूसन चेयर के सुरक्षित रख-रखाव हेतु गेट के पास कमरे बनवाये जाना आवश्यक बताया। कार्यदायी संस्था ने यह भी अवगत कराया कि वह एक्सिस ऑडिट रिपोर्ट एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित पूर्व अनुमोदित आगणन में दिये गए समस्त कार्यों को सम्मिलित करते हुए एक नवीन आगणन तैयार कराकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उक्त आगणन के स्वीकृत होने के पश्चात

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन

03/06/21

जनपद न्यायालय में निर्माण कार्य हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वांछित योजना /ड्राइंग जनपद न्यायालय में प्रेषित करेंगे।

6- यह कि तदोपरांत कार्यदायी संस्था ने अपने पत्रांक 250/ यूपारएनएसएस /गाजियाबाद /2019-20 दिनांकित 11.09.2020 द्वारा जनपद न्यायालय गौतमबुद्ध नगर को यह सचूना दी कि एक्सिस ऑडिट रिपोर्ट एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित आगणन जिसकी कुल लागत रु0 361.40 लाख थी, निदेशक, महोदय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लकनऊ के माध्यम से विशेष सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी। जिसके संदर्भ में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय गौतमबुद्ध नगर में दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित भवन के कार्य को स्वीकृत लागत रु0 36.26 के अनुसार ही कराये जाने के निर्देश दिये गए। उक्त पत्र में कार्यदायी संस्था ने यह स्पष्ट किया कि स्वीकृत धनराशि रु0 36.26 लाख में जिला एवं सत्र न्यायालय गौतमबुद्ध नगर को सम्पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों को बाधारहित बना पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा इस पूरी प्रक्रिया की सूचना न्यायालय को दिनांक 11.09.2020 को अपने पत्रांक 250/ यूपीआरएनएसएस / गाजियाबाद 2019-20 दिनांकित 11.09.2020 द्वारा दी गयी।

7- यह कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वांछित योजना/ ड्राइंग कार्यदायी संस्था द्वारा न्यायालय को प्रेषित नहीं की गयी जिस कारण माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 15-06-2020 का अनुपालन लम्बित है।

8- यह कि तदोपरांत कार्यदायी संस्था ने अपने पत्रांक 325/यूपीआरएनएसएस/गाजियाबाद/2019-20 दिनांकित 20-10-2020 द्वारा जनपद न्यायालय गौतमबुद्ध नगर को यह सूचना दी कि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 ने जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर को दिव्यांगजन हेतु बाधारहित बनाने के कार्य की धनराशि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को अपने पत्रांक 313 दिनांकित 13.10.2020 एवं डीडी सं0 076189 दिनांकित 13.10.2020 के माध्यम से वापस कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि परिपत्र संख्या 325/यूपीआरएनएसएस/गाजियाबाद /2019/20 दिनांकित 20.10.2020 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा आवंटित धनराशि को वापस करने से पूर्व कोई भी सूचना न्यायालय को प्रेषित नहीं की गयी। जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्ध नगर द्वारा इस सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारियों को यथा वांछित सहयोग प्रदान किया गया ताकि दिव्यांगजन समुचित सुविधाएँ प्राप्त कर सके।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त आख्या के अंतर्गत ही अवगत कराया गया कि राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की अधिकारिता के सम्बन्ध में जिला जज, गौतमबुद्ध नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट पिटीशन संख्या 1119/2021 दायर की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27-01-2021 निर्गत किया गया, जिसका अंश निम्नवत है-

> "As the learned counsel for the petitioner is unable to establish that the show cause notice is without jurisdiction, we are not inclined to entertain this petition under Article 226 of the Constitution. Instead, the petitioner is relegated to raise all grounds in defence before the Authority concerned who has issued the show cause notice. In case such a defence is raised, it is expected of the Authority that is shall dwell upon the same objectively and pass a speaking order expeditiously."

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की संगत धाराओं के प्रावधान निम्नवत् हैं-

I. **Sec 80(b)-** The State Commissioner shall inquire, suo motu orotherwise deprivation of rights of persons with disabilities and safeguards available to them in respect of

03/6/21

matters for which the State Government is the appropriate Government and take up the matter with appropriate authorities for corrective action;

II. **Sec 45 - Time limit for making existing infrastructure and premises accessible and action for that purpose. –**

(1) All existing public buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated by the Central Government within a period not exceeding five years from the date of notification of such rules;

Provided that the Central government may grant extension of time to the States on a case to case basis for adherence to this provision depending on their state of preparedness and other related parameters.

(2) The appropriate government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based on prioritization for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all primary health centres, civil hospitals, schools, railway station and bus stops.

III. **Sec 80(g) -** The State Commissioner shall monitor implementation of the provisions of this Act and schemes, programmes meant for persons with disabilities;

उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के चिन्हित जनपदों के विभिन्न विभागों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण के निर्माण हेतु दी गयी धनराशि की मॉनिटरिंग / निगरानी किये जाने के उद्देश्य से प्रकरण को स्वतः स्फूर्त के रूप में ग्रहण करते हुए जिला जज, जनपद गौतमबुद्ध नगर व अन्य कतिपय विभागों को कार्य की पूर्णता / अपूर्णता की अद्यतन स्थिति विषयक आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

उपर्युक्त के क्रम में प्रश्नगत विचाराधीन परिवाद में प्रतिवादी जिलाजज, गौतमबुद्ध नगर की ओर से श्री पवन प्रताप सिंह, प्रभारी अधिकारी लिटिगेशन /प्रशासन / प्रथम अपर जिला जज कक्ष सं0 -1 गौतमबुद्ध नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार आख्या पत्रांक-900/xv/डी0जे0/जी0बी0एन0 दिनांक 31-03-2021 एवं उसके संलग्नकों के परीक्षणोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं-

01- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 01/2020/3544/65-2-2019-06(विविध)/2018 टी.सी. दिनांक 01 जनवरी,2020 द्वारा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत चयनित जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद गौतमबुद्ध नगर को दिव्यांगजन हेतु बाधारहित बनाने का निर्माण कार्य उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) को आवंटित हुआ जिसकी स्वीकृत लागत रू0 36.26 लाख थी।

02- उपर्युक्त के क्रम में अध्यक्ष, इंफ्रास्ट्रक्टर सब कमेटी/ प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा पत्रांक 681 दिनांकित 15-02-2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से उक्त कार्य को प्रारम्भ करने के लिए दिशा-निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसपर मा0 उच्च न्यायालय ने अपने पत्र दिनांक 15-06-2020 द्वारा कार्यदायी संस्था से योजना/ ड्राइंग प्राप्त करने के निर्देश दिये गए जिसके अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित निर्माण कार्य कराया जाना है।

03- तदक्रम में अध्यक्ष, इंफ्रास्ट्रक्टर सब कमेटी/ प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतमबुद्धनगर की अपेक्षा के क्रम में कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएसएस द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.06.2020 द्वारा वांछित आगणन/ ड्राइंग मा0 जिला न्यायाधीश , गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित कर दी गई।

04- तत्पश्चात जिला न्यायाधीश, जनपद गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में इन्फ्रास्ट्रक्टर कमेटी द्वारा दिनांक 04-07-2020 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अवगत कराया गया कि जिला एवं सत्र

03/06/21

न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर को सम्पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित बनाना अति आवश्यक है व एक्सिस ऑडिट रिपोर्ट एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित पूर्व अनुमोदित आगणन में दिये गये समस्त कार्यों को करने व गेट से मुख्य भवन तक के रास्ते को शेडेड करने, तथा व्हील चेयर एवं इवेक्यूसन चेयर के सुरक्षित रखरखाव हेतु गेट के पास कमरे बनवाने हेतु निर्देश कार्यदायी संस्था को दिये गये।

05- उपर्युक्त इन्फ्रास्ट्रक्टर कमेटी के दिनांक 04-07-2020 की बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा एक्सिस ऑडिट रिपोर्ट एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित पूर्व अनुमोदित आगणन में दिये गए समस्त कार्यों को सम्मिलित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्धनगर को सम्पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधारिहत बनाने हेतु विस्तृत पुनरीक्षित आगणन को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर से दिनांक 27-07-2020 को प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तैयार किया गया जिसकी कुल लागत रु0 361.40 लाख आगणित की गयी थी जोकि शासन से स्वीकृत धनराशि 36.26 लाख से अधिक थी। इस पुनरीक्षित आगणन को कार्यदीय संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 07-08-2020 के माध्यम से निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया जिसे निदेशक, दिव्यांगजन द्वारा स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया किन्तु शासन द्वारा अपने पत्रांक 1479/65-2-2020-06(विविध)/2018TC/2020 / दिनांक 03-09-2020 के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर के भवन को दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाये जाने के कार्य को पूर्व में स्वीकृत लागत रु0 36.26 लाख में ही कराये जाने के निर्देश दिये गये जिसकी सूचना कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 11-09-2020 द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय, गौतमबुद्ध नगर को दी गयी तथा अवगत कराया गया कि स्वीकृत उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रु0 36.26 लाख में जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर को अपेक्षानुसार सम्पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित बना पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

06- तत्पश्चात निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या C-2495/दि0ज0स0वि0/सु0भा0अभि0/2020-21 दिनांक 08 अक्टूबर,2020 द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि यदि उनको आवंटित कार्यों में से कोई कार्य किन्ही कारणोंवश किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तो उस कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि तत्काल वापस की जाये जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएसएस द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर को दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित बनाये जाने के कार्य हेतु आवंटित धनराशि रु0 36.26 लाख निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को अपने पत्र दिनांक 13-10-2020 द्वारा चेक के माध्यम से वापस कर दी गयी जिसकी सूचना कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 20-10-2020 द्वारा जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्ध नगर को भी प्रेषित की गयी।

निष्कर्ष

उपर्युक्त घटनाक्रम से परिलक्षित होता है कि सुगम्य भारत अभियान फेज-01 के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि रु0 36.26 लाख का उपयोग जिला न्यायाधीश गौतमबुद्ध नगर एवं कार्यदायी संस्था के मध्य बनी सहमति के उपरांत प्रेषित पुनरीक्षित प्रस्ताव की लागत कई गुना बढ़ जाने अर्थात् रु0 361.40 लाख हो जाने तथा पुनरीक्षित प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति न होने के कारण नहीं हो सका, जोकि दिव्यांगजन के हित में नहीं है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-45, जोकि बाध्यकारी है, के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सार्वजनिक भवनों तक उनकी पहुँच सुगम्य बनाना समुचित सरकार का दायित्व है जिसका निर्वहन उपलब्ध संसाधनों एवं बजट के अंतर्गत समुचित सरकारों द्वारा किया जा रहा है एवं सभी सरकारी भवनों एवं परिसरों को क्रमशः

03/06/2

दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित बनाये जाने हेतु यह कार्य भारत सरकार की सुगम्य भारत अभियान योजना के अंतर्गत चरणबद्ध ढंग से किया जाना प्रस्तावित है। अतः श्रेयस्कर प्रतीत होता है कि फिलहाल सम्बन्धित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दिव्यांगजन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए बाधारहित सम्बन्धी निर्माण कार्य शासन द्वारा आवंटित धनराशि के अंतर्गत ही सम्पन्न कराया जाना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण भारत को दिव्यांगजन के लिए सुगम्य बनाने का कार्य एक बड़ा संकल्प है और इस सन्दर्भ में "सुगम्य भारत अभियान" योजना एक आरम्भ है अंत नहीं। अतएव इस कार्य की पूर्ति में सम्बन्धित पक्षों का सकारात्मक एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपेक्षित है।

आदेश / अनुशंसा

अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों के परिस्थितिजन्य कारकों के परिशीलनोपरांत प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 1119/2021 में पारित आदेश दिनांक 27-01-2021 का समादर करते हुए यह अनुशंसा की जाती है कि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय, जनपद गौतमबुद्ध नगर को दिव्यांगजन हेतु बाधारहित बनाये जाने सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न कराये जाने हेतु पुनः समुचित धनराशि का आवंटन करते हुए किसी कार्यदायी संस्था को नामित करें। साथ ही कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित करें कि वे आवंटित धनराशि के अंतर्गत जिला न्यायाधीश, गौतमबुद्ध नगर की सहमति से दिव्यांगजन की आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय, जनपद गौतमबुद्ध नगर को दिव्यांगजन के लिए बाधारहित बनाये जाने सम्बन्धी कार्यों को, जो प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत संभव हो, सम्पन्न कराएं तथा तदविषयक अनुपालन आख्या तीन माह के अंदर इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

उपर्युक्त अनुशंसा की प्रति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

परिवाद अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार
न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन

03/06/2021

(डॉ एस.के.श्रीवास्तव)
राज्य आयुक्त

दिनांक : 03 **/06/2021**
स्थान : लखनऊ